राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (1) (एस–392) अलेसे–I / 863-67 दिनांकः– 22-08-2025

आदेश

श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (निलम्बित), हाल मुख्यालय–कोषाधिकारी, दौसा के विरूद्व पुलिस थाना थानागाजी, अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0050 दिनांक 02.02.2024 के आधार पर श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.2024 को हिरासत में लिया गया था।

श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को 48 घंटे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण निदेशालय द्वारा श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 3150–58 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा गिरफ्तारी दिनांक 02.02.2024 से निलम्बित किया गया था।

श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री सम्पत राम मीणा द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–। (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्वि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (1) (एस–392) अलेसे–I / 863-67 दिनांकः– 22-08-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 कोषाधिकारी, दौसा।
2 श्री सम्पत राम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (निलम्बित), हाल मुख्यालय–कोषाधिकारी, दौसा ।
3 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5 गार्ड फाईल / पदस्थापन शीट।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)